29-1-19

वकील वादी उप०। आज बार द्वारा कार्य स्थगन हो जाने के कारण दिनांक 6-2-19 को पेश हो। [signature]

6-2-19

वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते आदेश दि० 13-2-19 को पेश हो। [signature]

13-2-19

वकील वादी उप०। वाद वादी डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature]

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ–बास जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री महेन्द्रसिंह यादव आर.ए.एस. किशनगढबास

मुकदमा नं	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
89	26.5.18	13.2.19

उनवान

1 रामानन्द पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मीरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:– वादी :–

बनाम

1 वृदराम
2 लालसिंह
3 रामीतार
4 जगदीश प्रशाद पुत्रान श्रीराम
5 सन्तोष बेवा सत्यनारायण
6 अजीत पुत्र सत्यानारायण
7 कश्मीरा
8 रोशन
9 रमा पुत्रियान सत्यनारायण जाति अहीरान निवासीयान ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला अलवर

:–असल प्रतिवादीगण:–

10 जगदीश पुत्र रामलाल
11 सुभाषचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद
12 कपूलचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद
13 सुलोचना देवी पुत्री दुर्गाप्रसाद
14 इन्द्राबाला पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति अहीरान निवासीयान ग्राम मीरका तहसील किशनगढबास जिला अलवर

:–तरतीबी प्रतिवादीगण:–

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी. एक्ट.

उपस्थिति– 1.श्री उदयसिंह यादव वकील वादी की ओर से
2.असल प्रतिवादीगण की ओर से एक पक्षीय कार्यवाही।
3.तरप्रतिवादीगण की ओर से एकबाल जवाबदावा।

पर्चा डिकी

वाद वादी बहक वादी तर0 प्रति विरूद्ध प्रतिवादीगण असल डिकी किया जाकर आ0ख0न0 हाल 314/0.5200 (2–01) कि 21/41 भाग वाके ग्राम बसई कला तहसील किशनगढबास के 1/3 भाग का वादी व 1/3 भाग का तर0प्रति0 न0 10 तथा 1/3 भाग का तर0प्रति0 11 लगा0 14 को खरीदरार खातेदार काश्तकार घोपित किया जाता है। जो अमल हाल जमाबन्दी में असलप्रति0 को नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर तदानुसार ही वादीगण व तर0 प्रति0 के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है खर्चा वाद वादी स्वय वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढबास(अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास {अलवर}
===

अध्यासित द्वारा :- श्री महेन्द्रसिंह यादव आर.ए.एस.

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
89	26-5-18	13-2-19

उनवान

1- रामानन्द पुत्र रामलाल जाति अहीर निवासी ग्राम मीरका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-वादी

बनाम

1- बुद्धराम

2- लालसिंह

3- रामौतार

4- जगदीश प्रशाद पुत्रान श्रीराम

5- सन्तोष बेवा सत्यनारायण

6- अजीत पुत्र सत्यनारायण

7- कश्मीरा

8- रोशन

9- रेखा पुत्रीयान सत्यनारायण जाति अहीरान निवासीयान ग्राम मांचल तहसील बहरोड जिला अलवर :-असल प्रति०

10-जगदीशसिंह पुत्र रामलाल

11-सुभाषचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद

12-कबूलचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद

13-सुलोचनादेवी पुत्री दुर्गाप्रसाद

14-इन्द्रबाला पुत्री दुर्गाप्रसाद जाति अहीरान निवासीयान ग्राम मीरका तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :-तर.प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति:- 1- श्री उदयसिंह यादव वकील वादी की ओर से ।

2- असल प्रतिवादीगण की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

3- तर.प्रति.की ओर से एकबाल जबाबदावा ।

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के तमहम वृतान्त निम्न प्रकार से हैं:-

--2--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

वादी ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. हाल 314/0.52 अर्थात 2बीघा 1बिस्वा का 21/41 भाग वाके ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढ़-बास दीगर आराजीयात सहित श्री सत्यनारायण मृतक व बुद्धराम, लालसिंह, रामौतार, जगदीशप्रसाद पुत्रान श्रीराम पांचों भाईयों से जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 14-6-89 को वादी व तर. प्रति. नं. 10 व तर. प्रति. नं. 11लगा. 14 के पिता दुर्गाप्रसाद ने खरीद की थी। तथा वक्त खरीद से ही काबिज काश्त हैं।

बाद खरीद बयनामा पटवारी हल्का को दे दिया बयनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज होकर मंजूर हो गया परन्तु सहवन से ख. नं. 314 पटवारी हल्का से इन्तकाल में दर्ज करने से छोड दिया इसलिए असल प्रतिवादीगण के नाम ही दर्ज होता चला आ रहा है जिस कारण वादी के हकूकों पर कुठाराघात होता है जबकि सत्यनारायण वगैरा आराजी का बेचान कर चुके हैं उनका कोई लेना देना नहीं है गैर काबिज गैरवास्ता हैं इसलिए वादी व तर. प्रति. असल प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कराकर अपने नाम का अमल कराने के अधिकारी हैं। वादीगण को इस गलत अमल का कोई ज्ञान नहीं था दिनांक 16-3-18 को पटवारी हल्का के पास किसान क्रेडिट कार्ड की पत्रावली तैयार कराने गये तब नकल जमाबन्दी ली तो इस गलत अमल का ज्ञान हुवा।

अत: प्रार्थना है कि वाद वादी बहक वादी वो तर. प्रति. विरूद्ध असल प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:-

§अ§ डिक्री इज्राय इश्तकराररहक पारित की जाकर घोषित किया जावे कि आ. ख. नं. हाल 314/0.5200 अर्थात 2बीघा 1बिस्वा के 21/41 भाग वाके ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढ़-बास के वादी 1/3 भाग तर. प्रति. नं. 10 का 1/3 भाग व तर. प्रति. नं. 11लगा. 14 का 1/3 भाग के खातेदारान है व इसी कदर हाल जमाबन्दी से विक्रेतागण असल प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादी व तर. प्रति. के नाम का अमल कराया जावे।

§ब§ अन्य सहायता जो नजदीक अदालत श्रीमान हो वादी को अता फरमाई जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रति. बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुये। उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कीगई। तर. प्रति. ने एकबाल जबाबदावा पेश कर वाद को अक्षरश: स्वीकार किया।

वादी ने वाद की ताईद में बयनामा प्रदर्श ए 1, हाल जमाबन्दी प्रदर्श 2 किता 15, तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रदर्श 3, नकल इन्तकाल प्रदर्श 4 पेश किये हैं। स्वयं का शपथ पत्र पी.डब्लु 1 पेश किया है।

--3--

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि वादी व तर.प्रति. ने दिनांक 14-6-89 को कई नम्बरान के साथ हाल ख.नं. 314/2-01 का 21/41 भाग भी असल प्रति. से खरीद किया था। बयनामा के आधार पर जो इन्तकाल दर्ज हुवा उसमें ख.नं. 314 दर्ज करने से रह गया जो पटवारी हल्का भूल रही है। इसलिए जमाबन्दी में विक्रेतागण प्रतिवादीगण के नाम का ही अमल हो रहा है जो कानूनन गलत है। प्रतिवादीगण असल ने बावजूद सूचना के वाद का कोई विरोध नहीं किया। समस्त दस्तावेज पेश किये हैं। वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। बयनामा प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह तथ्य साबित है कि वादी व तर. प्रति. ने कुल 12 खसरा नम्बरान में से आराजी खरीद की थी जिसमें ख.नं. 314 का 21/41 भाग खरीद गया है इस बयनामा का इन्तकाल नं. 269 दर्ज हुवा उसमें बयनामा के अनुसार 12 खसरा नम्बरान दर्ज ना होकर कुल 11 नम्बर ही दर्ज किये गये हैं ख.नं. 314 दर्ज होने से छूट गया जो इन्तकाल प्रदर्श 4 है नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2 के अवलोकन से साबित है कि ख.नं. 314 के 21/41 भाग पर बाद बेचान भी विक्रेतागण (प्रतिवादीगण असल) के नाम ही खातेदारी दर्ज रिकार्ड है जबकि बाद बेचान कानूनन उक्त आराजी में उनके कोई हक हकूक ही शेष नहीं रहे हैं। बेचान के पश्चात भी विक्रेतागण के नाम का अमल बदस्तूर रहने से क्रेतागण (वादी व तर.प्रति.) के हक हकूक जायल होते हैं कानूनन प्रतिवादीगण के नाम का अमल जो हाल जमाबन्दी में हो रहा है व कलमजन योग्य है। इस प्रकार वाद वादी प्रस्तुत दस्तावेजात से भली भाँति सिद्ध होता है वाद डिक्री किया जाना कानून संगत व न्यायोचित प्रतीत होता है।

अत: आदेश हैं कि:-

वाद वादी बहक वादी व तर.प्रति. विरूद्ध प्रतिवादीगण असल डिक्री किया जाकर आ.ख.नं. हाल 314/0.5200 (2-01) के 21/41 भाग वाके ग्राम बसईकलां तहसील किशनगढ-बास के 1/3 भाग का वादी व 1/3 भाग का तर. प्रति. नं. 10 तथा 1/3 भाग का तर.प्रति. 11लगा.14 को खरीददार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जो अमल हाल जमाबन्दी में असल प्रति० के नाम का हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर तदानुसार ही वादीगण व तर. प्रति. के नाम का अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेंगें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल रिकार्ड हो। निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner